

राजस्व अपील संख्या 256/2022

अनवान

जुगतदान वगैरा बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ओसिया

दिनांक 16-6-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसिया द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15 ए/2021 अनवान सरकार बनाम खेताराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12-07-2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांत अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 12-07-2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांत अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांत की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसिया द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15 ए/2021 अनवान सरकार बनाम खेताराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12-07-2021 के क्रम में प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत/हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति में नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जावे। वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारों/हितबद्ध लोगों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांत/हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। उक्त निर्देशों के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।



वति • सम्भागीय वायुक्त.

बोधपुर